दिनांक–03 अप्रैल, 2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय।

	<u>पथ निर्माण विभाग</u>	
1.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर॰आई॰डी॰एफ॰–XVII) के तहत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया–केसरिया– सत्तरघाट पथ के 27वें कि०मी० में गंडक नदी के सत्तरघाट पर भू–अर्जन, 2–लेन वाले पहूँच पथ निर्माण कार्य, रिवर ट्रेनिंग कार्य/गाईड बाँध निर्माण कार्य आदि कार्यों सहित 24x60.00 मी० आकार एवं 12.00 मी० चौड़ाई के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 26347.89 लाख (दो अरब तिरसठ करोड़ सैंतालीस लाख नवासी हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	स्वीकृत।
	<u>पथ निर्माण विभाग</u>	
2.	श्री नारायण कुमार भारती, निलंबित सहायक अभियंता द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर एवं राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन– सोन के पदस्थापन काल में क्रमशः सीमा विकास योजना अंतर्गत बरती गई अनियमितता तथा पथ निर्माण विभाग के आदेश के बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में कार्य के प्रभार को स्वीकार करने आदि जैसी बरती गई अनियमितता के लिए इन्हें सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।	स्वीकृत।

	सामान्य प्रशासन विभाग	
3.	असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति।	स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
4.	कृषि रोडमैप का वर्ष 2022 तक सांकेतिक लक्ष्य तथा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक कुल 149859.00 करोड़ रूपये (सरकारी निवेश– 129334.00 करोड़ तथा निजी निवेश–20525.00 करोड़ रूपये) की लागत पर रोडमैप कार्यक्रमों की सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा रोडमैप में शामिल विभागों के द्वारा रोडमैप योजनाओं का उद्व्यय तथा बजट उपबंध प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति उपरांत कार्यान्वयन की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	
5.	डा० आफताब आलम मल्लिक, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बीहट, बेगूसराय को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	स्वीकृत।
	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	स्वीकृत।
6.	अपर जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 की स्वीकृति।	
	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	स्वीकृत।
7.	बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान नियमावली–2012 की स्वीकृति के संबंध में।	

	<u>स्वास्थ्य विभाग</u>	
8.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना में सुपर स्पेशलिटी विभाग के रूप में शिशु सर्जरी, न्योनेटोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभागों का स्वतंत्र रूप से गठन एवं इन तीनों विभागों के लिए विभिन्न कोटि के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक 48 पदों के सृजन के संबंध में।	स्वीकृत।
	<u>पथ निर्माण विभाग</u>	
9.	जन–निजी–भागीदारी (PPP) अन्तर्गत DBFOT (Design Build Finance Operate and Transfer) पद्धति पर रा०उ०पथ सं०–31 के रजौली–बख्तियारपुर सेक्शन (कुल लम्बाई–107.092 कि०मी०) का कुल ₹ 847.10 करोड़ (Total Project Cost) एवं भू–अर्जन, Utility Shifting, EMP, R&R इत्यादि पर कुल ₹364.74 करोड़ अर्थात कुल ₹1211.84 करोड़ (रूपये एक हजार दो सौ ग्यारह करोड़ चौरासी लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर 4–लेनिंग निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना पर राज्यांश कुल ₹364.74 करोड़ का व्यय राज्य योजना शीर्ष से करने हेतु मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	स्वीकृत।